मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013-आषाढ़ 7, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम यूसुफी मखानावाला (YUSUFI MAKHANAWALA) था, जिसे मैंने बदलकर यूसुफ अली मखानावाला (YUSUF ALI MAKHANAWALA) कर लिया है. अत: अब से मुझे मेरे, मेरी पत्नी, बच्चे एवं अन्य सभी जगह पर मेरे नये नाम यूसुफ अली मखानावाला (YUSUF ALI MAKHANAWALA) से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(यूसुफी मखानावाला)
(YUSUFI MAKHANAWALA)

नया नाम :
(यूसुफ अली मखानावाला)
(YUSUF ALI MAKHANAWALA)
119 (New No. 171), Saify Nagar,
Indore (M. P.).

(171-बी.)

नाम परिवर्तन

मुझ जेनिफर खान पति अब्दुल रहमान, निवासी कोर्ट मोहल्ला, नीमच सिटी ने शादी के पश्चात् मेरा नाम बदलकर शाहिन बानो रख लिया है. अत: अब मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :
(जेनिफर खान)

नया नाम :
(शाहिन बानो)
पति अब्दुल रहमान,
कोर्ट मोहल्ला, नीमच सिटी.

(172-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिता अडवानी पति सुनील अडवानी सूचित करती हूँ कि मैंने अपना नाम अनिता अडवानी से बदलकर कंचन अडवानी कर दिया है. अब मैं कंचन अडवानी के नाम से जानी, पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :
(अनिता अडवानी)

नया नाम :
(कंचन अडवानी)
47- बी, पलसीकर कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.).

(176-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मेरे पूर्व दस्तावेजों में मेरा नाम प्रेम बहादुर पुत्र श्री मनवीर सिंह, निवासी श्री हंस विभू आश्रम के पीछे, लक्ष्मी बिहार, तानसेन रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) अंकित है. जबकि मैंने अपना नाम परिवर्तित कर प्रेम बहादुर सिंह पुत्र श्री मनवीर सिंह लिखना आरम्भ कर दिया है. भविष्य में मुझे प्रेम बहादुर के स्थान पर प्रेम बहादुर सिंह के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(प्रेम बहादुर)

नया नाम :

(प्रेम बहादुर सिंह)
पुत्र श्री मनवीर सिंह,
निवासी—श्री हंस विभू आश्रम के पीछे, लक्ष्मी बिहार,
तानसेन रोड, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(180-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल ट्रान्सफॉरमर पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 15 फरवरी, 1984 पर पंजीकृत है, जिसमें 01 अप्रैल, 2007 को निम्न भागीदार हैं. 1. सुधा राठी, 2. पुरूषोत्तम दास राठी (एच. यु. एफ).

उक्त फर्म में उक्त भागीदारों के अतिरिक्त श्रीमती नेहा राठी दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से फर्म के नये भागीदार के रूप में प्रवेश कर रही हैं एवं 01 अप्रैल, 2007 से ही भागीदार पुरूषोत्तम दास राठी (एच. यु. एफ.), फर्म की भागीदारी से निवृत हो रहे हैं. अत: यह सर्वविदित हो.

Neha Rathi,
Partner,
For Universal Transformers

(173-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल ट्रान्सफॉरमर पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 15 फरवरी, 1984 पर पंजीकृत है, जिसमें 01 अप्रैल, 1989 से निम्न भागीदार हैं. 1. सुधा राठी, 2. पुरूषोत्तम दास राठी (एच. यु. एफ.), 3. जे. एम. तोषणीवाल (एच. यु. एफ), 4. पी. के. मंत्री (एच. यु. एफ.).

उक्त भागीदारों में से जे. एम. तोषणीवाल (एच. यु. एफ.), एवं पी. के. मंत्री (एच. यु. एफ.),दिनांक 01 अप्रैल, 1989 से फर्म की भागीदारी से निवृत हो गये हैं. अत: यह सर्वविदित हो.

Neha Rathi,
Partner,
For Universal Transformers.

(174-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स यूनीवर्सल ट्रान्सफॉरमर पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 15 फरवरी, 1984 पर पंजीकृत है, जिसमें 01 जून, 1987 से निम्न भागीदार हैं. 1. सुधा राठी, 2. पुरूषोत्तम दास राठी (एच. यु. एफ.), 3. जे. एम. तोषणीवाल (एच. यु. एफ.), 4. रतन देवी मंत्री, 5. सुषमा राठी, 6. पदम कुमार मंत्री (एच. यु. एफ.).

उक्त फर्म में उक्त भागीदारों के अतिरिक्त पी. के. मंत्री (एच. यु. एफ.) दिनांक 01 जून, 1987 से फर्म के नये भागीदार के रूप में प्रवेश कर रहे हैं एवं श्रीमती रतनदेवी मंत्री और श्रीमती सुषमा राठी एवं पदम कुमार मंत्री (एच. यु. एफ.) दिनांक 01 जून, 1987 से फर्म की भागीदारी से निवृत हो गये हैं. अत: यह सर्वविदित हो.

Neha Rathi,
Partner,
For Universal Transformers.

(175-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जयप्रकाश कालोनाईजर्स, जो कि एक रजिस्टर्ड फर्म थी जिसका पंजीयन क्रमांक-01/01/01/00139/04, सन् 2004-05 है. जिसमें दो भागीदार श्री जयप्रकाश त्रिपाठी आत्मज श्री एम. एल. त्रिपाठी एवं श्री के. मुधकर राव आत्मज श्री के. भास्कर राव थे. उक्त फर्म में एक भागीदार श्री के. मधुकर राव की मृत्यु दिनांक 12 जनवरी, 2013 को हो गयी है. भागीदारी अधिनियम के

प्रावधान के अनुसार दो में से एक भागीदार की मृत्यु होने पर उक्त फर्म का स्वयमेव (स्वत:) ही विघटन हो चुका है एवं मृतक भागीदार का कोई भी वैधानिक उत्तराधिकारी मय सक्षम प्रमाण-पत्र के आज दिनांक तक उपस्थित नहीं हुआ है.

अत: उक्त फर्म का विघटन हो चुका है. सर्व-साधारण को सूचनार्थ.

भवदीय

जयप्रकाश त्रिपाठी,

द्वारा जयप्रकाश कालोनाईजर्स,

पता—एफ. एम.-2, ब्लॉक ए, मानसरोवर कॉम्पलेक्स,

हबीबगंज, भोपाल (मध्यप्रदेश.)

(179-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स गौरी कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी 47, गुरूनानक कॉलोनी, दतिया की पार्टनरशिप डीड में 1. श्री आर. डी. शर्मा पुत्र स्व. श्री बी. पी. शर्मा, निवासी—131/9 B साकेत नगर, भोपाल, 50 प्रतिशत, 2. श्री संजय प्रकाश मालौटिया पुत्र स्व. श्री रामगोपाल मालौटिया, निवासी—2, होलीपुरा, दतिया, 25 प्रतिशत, 3. श्री परशुराम गुलराजानी पुत्र स्व. नारूमल गुलराजानी, निवासी—47, गुरूनानक कॉलोनी, दतिया, 25 प्रतिशत में भागीदार थे. श्री परशुराम गुलराजानी पुत्र स्व. श्री नारूमल गुलराजानी का स्वर्गवास दिनांक 21 दिसम्बर, 2010 को हो जाने के कारण उनकी पत्नि श्रीमती मीरा बाई एवं श्री आर. डी. शर्मा द्वारा निजी कारण एवं स्वैच्छा से फर्म में हटने के कारण रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड में लिखित सहमति एवं शपथ-पत्र सहित फर्म में अपने नाम जोड़ने एवं हटाने हेतु फर्म की रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड का, फर्म एण्ड सोसायटी, ग्वालियर में पंजीयन हेतु आवेदन करने हेतु तैयार की गई है. रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड में श्री संजय प्रकाश मालौटिया पुत्र स्व. श्री रामगोपाल मालौटिया, 2. श्रीमती मीरा बाई पत्नि स्व. श्री परशुराम गुलराजानी ने 50-50 प्रतिशत के भागीदार हैं, यदि उक्त फर्म के संशोधन में किए जाने से किसी जनसाधारण/शासकीय/अशासकीय कार्यालय/वित्तीय संस्थान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन 15 दिवस के अंदर फर्म एवं सोसायटी कार्यालय, ग्वालियर में ठोस प्रमाण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

नियत दिनांक तक कोई आपत्ति/आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर फर्म एण्ड सोसायटी, ग्वालियर में रिवाईज्ड पार्टनरशिप डीड का पंजीयन कराने के हकदार होंगे, नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्ति/आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी और न उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाएगी.

भवदीय

संजय प्रकाश मालौटिया,

पार्टनर,

मे. गौरी कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी.

(178-बी.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अंतर्गत सूचना

मे. काकड़ा रोलिंग मिल्स

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार फर्म मे. काकड़ा रोलिंग मिल्स स्थित 15 सी, इंडस्ट्रीयल एरिया गोविंदपुरा, भोपाल जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/00040/06, दिनांक 21 जून, 2006 है उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से नवीन भागीदार श्री विशाल गोयल, आ. श्री नरेद्र कुमार गोयल, आयु वयस्क निवासी ए-11,12 अभिनव काकड़ा होम्स अयोध्या वायपास रोड भोपाल को चतुर्थ नवीन भागीदार के रूप सम्मिलित किया गया है. अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय आदि को कोई आपत्ति हो तो वे इस सूचना प्रकाशन के तीन दिवस के भीतर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करें.

भवदीय

आभास जैन,

(एडवोकेट),

114/ एम-1 जोन-2, एम. पी. नगर, भोपाल.

(177-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 07 जून, 2013

क्र. 396/10 परीक्षा/पट.प्रशि./2013.—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर में पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की पटवारी वार्षिक परीक्षा (नियमित सत्र) माह जुलाई 2013, परीक्षा केन्द्र—राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर का कार्यक्रम सर्व-साधारण की जानकारी के लिये निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

स. क्र.	दिनांक	परीक्षा का दिन	विषय	परीक्षा का समय
1	2	3	4	5
1.	15-07-2013	सोमवार	म. प्र. भू-राजस्व संहिता	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
2.	16-07-2013	मंगलवार	म. प्र. भू.-अभिलेख नियमावली	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
3.	17-07-2013	बुधवार	तरतीब कागजात	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
4.	18-07-2013	गुरूवार	कम्प्यूटर सैद्धान्तिक	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
5.	19-07-2013	शुक्रवार	सर्वे सैद्धान्तिक	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
6.	22-07-2013	सोमवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	23-07-2013	मंगलवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	24-07-2013	बुधवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	25-07-2013	गुरूवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
7.	26-07-2013	शुक्रवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	27-07-2013	शनिवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	29-07-2013	सोमवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	30-07-2013	मंगलवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	31-07-2013	बुधवार	सर्वे/प्लाटिंग करना	प्रात: 9.00 बजे से 10.30 तक 1.30 घण्टा होगी. (दिनांक 26-07-13, 27-07-13, 29-07-13, 30-07-13 को दी गयी परीक्षा की).

टीपः—

1. सर्वे भू-मापन/कम्प्यूटर व्यवहारिक की परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 1.00 घण्टा एवं सर्वे प्लाटिंग के लिए 1.30 घण्टा समय निर्धारित है.
2. इस परीक्षा में बैठने के लिए अनियमित उम्मीदवार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर से प्राप्त करें.
3. आवेदन-पत्र का प्रदाय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर अथवा जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से किया जायेगा.
4. प्रशिक्षणार्थी दिनांक 22 जून, 2013 तक अपने आवेदन-पत्र संबंधित प्रशिक्षण शाला में जमा करें.
5. पटवारी वार्षिक परीक्षा (नियमित सत्र) माह जुलाई, 2013 हेतु नियमित/अनियमित समस्त उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केन्द्र, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान महलगांव, ग्वालियर निर्धारित किया गया है. अनियमित उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र जिलाध्यक्ष भू-अभिलेख कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें. मुख्यालय ग्वालियर में सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा.

राजीव रंजन,
आयुक्त.

(328)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 1 जून, 2013

क्र. 6526/व.लि. 1/2013.—मध्यप्रदेश आपत्तिजनक कै, हैजा-आंत्रशोथ विनियम, 1983 के नियम-3 एवं नियम-5 के अन्तर्गत उक्त रोग फैलने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मैं, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी सम्पूर्ण बड़वानी जिले को उपर्युक्त नियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिसूचना जारी होने के दिनांक से छः माह की कालावधि तक के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूँ.

श्रीमन् शुक्ला,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(329)

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2013

क्र. जी.बी./चार/स्टे. (3)/2013-2014/2112.—शासकीय विभागों/कार्यालय के लिये फाईल कव्हर एवं फाईल बोर्ड जो हैण्ड मेड पेपर पर मुद्रित हो, ग्रामोद्योग इकाई अथवा लघु कुटीर उद्योग में तैयार किया गया हो निर्धारित प्रपत्र में मुहर बंद तकनीकी एवं कामर्शियल निविदाएं पृथक्-पृथक् लिफाफों में आमंत्रित की जाती हैं.

2. शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की वेबसाइट **www.govtpressmp.nic.in** पर भी निविदा प्रपत्र उपलब्ध है. जिसे उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर भी प्राप्त किया जा सकेगा.

3. इच्छुक निविदाकार ₹ 1,000/- (रुपये एक हजार) नगद जमा कर दिनांक 11 जुलाई, 2013 तक नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय से 4.00 बजे तक निविदा प्राप्त कर सकते हैं अथवा वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिये निविदा में ₹ 1,000/- का D.D.नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, भोपाल के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा.

4. निविदा प्रपत्र दिनांक 12 जुलाई, 2013 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त एवं आवश्यक पूर्ति कर जमा किये जावेंगे. तकनीकी निविदाएं **(Technical Tender)** उसी दिनांक को अर्थात् दिनांक **12 जुलाई, 2013** को अपराह्न 3.00 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी. तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों की कामर्शियल निविदा **(Commercial Tender)** खोलने की सूचना पृथक् से दी जावेगी.

5. निविदा के साथ ₹ 15,000/- (रु. पन्द्रह हजार) का FDR/CDR नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम का संलग्न करना अनिवार्य है. बिना FDR/CDR के निविदा मान्य नहीं की जावेगी.

अजीत केसरी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(335)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रहली, जिला सागर

रहली, दिनांक 07 मई, 2013

रा. प्र. क्र. /बी-113/2012-13.

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मिट्ठूसींग बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, निवासी ग्राम इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर द्वारा एक आवेदन-पत्र धारा-4 मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर श्री देव हनुमान जी मंदिर इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर की न्यास कमेटी के गठन किए जाने बाबत् प्रस्तुत किया है. जिसकी सुनवाई इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10 जून, 2013 को दिन को 11.00 बजे नियत की गई है. उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा आवेदन प्रस्तुत करना हो तो वह नियत दिनांक व समय पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अथवा किसी मान्य अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. बाद में म्याद गुजरने किसी भी आपत्ति अथवा आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

1. लोक न्यास का का नाम :— श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश)
2. लोक न्यास का स्वरूप, उत्पत्ति एवं उद्देश्य : श्री देव हनुमान जी मंदिर, ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश) की पूजा अर्चना उचित प्रबंधन उन्नति.
3. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या कारोबार का प्रधान स्थान पारित है. ग्राम इमलिया, तह. रहली, जिला सागर (मध्यप्रदेश)
4. कार्यवाही न्यासी और प्रबंधक का नाम उनके पते सहित. मिट्ठूसिंह बल्द गनेशसिंह दांगी ठाकुर, सा. इमलिया, तहसील रहली, जिला सागर.

मुख्य कार्यकारी न्यासी/अध्यक्ष.

1. राजेन्द्रसिंह बल्द गजराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—उपाध्यक्ष.
2. लखनसिंह बल्द अर्जुनसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
3. नारायणसिंह बल्द गनेशसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
4. जगतसिंह बल्द रामसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
5. रघुनाथसिंह बल्द महराजसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
6. वीरेन्द्रसिंह बल्द मिट्ठूसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
7. रघुराजसिंह बल्द नारायणसिंह सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
8. विन्द्रावन बल्द बट्ठू आदिवासी सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य
9. मोहनसींग बल्द जगन्नाथ सा. इमलिया, तह. रहली—सदस्य

5. न्यासीपद या व्यवस्थापन पद के उत्तराधिकार की रीति. कार्यकारी समिति के सदस्यों की बैठक में बहुमत के आधार पर चुनाव.
6. न्यास से संबंधित योजना कोई हो तो विवरण प्रक्रिया संलग्न करे. धार्मिक उत्सव उचित रखरखाव विधिवत् पूजापाठ.
7. सम्पत्ति का विवरण : ग्राम इमलिया, प. ह. नं. 23, तह. रहली स्थित भूमि स्वामी भूमि

खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे.)	लगान
80/2	0.550	4.69
241	0.360	2.50
306	0.050	0.31
योग 3 मेंड़े	**0.960**	**7.50**

एक मंदिर श्री देव हनुमान जी मंदिर ग्राम इमलिया प्रतिष्ठित पत्थर की मूर्ति, चल सम्पत्ति

1. मुकुट चांदी—एक, 2. तिलक चांदी-एक, 3. नेत्र चाँदी-एक जोड़ी, 4. कर्णफूल चाँदी, 5. मुश्ठिका चाँदी, 6. बाजूबंदी चाँदी, 7. कलाईबंद चाँदी, 8. गले का हार चाँदी, 9. वक्षस्थल श्रीराम आकृति चाँदी, 10. छत्र चाँदी, 11. करधनी चाँदी, 12. पैरबंद चाँदी, 13. तिलक चाँदी, 14. पाँव बेड़ी चाँदी, 15. लाकिट चाँदी, 16. माला गले की चाँदी, 17. अंगूठी चाँदी, 18. स्पीकर, 19. माईक, 20. माईक स्टेण्ड, 21. एम्पलीफायर, 22. अलमारी गोदरेज छोटी, 23. घंटा पीतल छोटे-बड़े, 24. घड़ी दीवाल, 25. सिंचाई मोटर S.H.P. (CRI कम्पनी), 26. पाईप काश्ता कंपनी काले अकड़ा वाले, 27. सेक्शन, 28. स्टाटर, 29. नोजल, एडाप्टर, राईजर पाईप, 30. इमरजेन्सी छोटा इन्वर्टर, 31. हारमोनियम, 32. ढोलक—एक, 33. मजीरा—एक, 34. झूला—एक, 35. चमीटा—एक, 36. फर्श बड़ा—एक, 37. गैस सिलेण्डर एच. पी.—एक, 38. गैस चूल्हा—एक, 39. बाल्टी—एक, 40. थाली—एक, 41. गिलास—एक, 42. चिमटा—एक, 43. श्रीरामचरितमानस—एक, 44. श्री सुखसागर—एक, 45. शंख बड़ा—एक, 46. झालर पीतल—एक, 47. कुर्सी फाईवर.

8. न्यास की आय का साधन :—कृषि भूमि चढ़ौत्री-दान.

9. कुल वार्षिक आय :—50,000/-

10. न्यास की संपत्ति पर ऋण का भार : कुछ नहीं.

उद्घोषणा आज दिनांक 07 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

आनंद कोपरिहा,

(330) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर

प्ररूप-चार

[नियम- 5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,

लोक न्यास, खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश के समक्ष.

चूँकि श्री जिनेन्द्रकुमार पिता श्री भैयालाल गुरहा एवं अन्य, निवासी खुरई, जिला सागर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे समक्ष न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने के विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, अनुविभागीय अधिकारी, खुरई, जिला सागर का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 10 जुलाई, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासीगण या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोई मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम. . श्री राजकोमल सोधिया आश्रय न्यास, खुरई, जिला सागर, मध्यप्रदेश.

सम्पत्ति का विवरण :

चल सम्पत्ति . . 11,000.00 रुपया.

अचल सम्पत्ति . . कुछ नहीं.

कमल सोलंकी,

(331) पंजीयक.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री सेवा भारती फाउण्डेशन 59, डाकतार कॉलोनी, सूर्यदेव नगर, सेंटमेरी स्कूल, इन्दौर, मध्यप्रदेश की ओर से श्री जितेन्द्र पिता फूलचंद वर्मा, पता 59, डाकतार कॉलोनी, सूर्यदेव नगर, सेंटमेरी स्कूल, इन्दौर, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	''श्री सेवा भारती फाउण्डेशन''
पता	:	59, डाकतार कॉलोनी, सूर्यदेव नगर, सेंट मेरी स्कूल, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र).

आज दिनांक 17 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

विजय अग्रवाल,
रजिस्ट्रार.

(332)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा

विदिशा, दिनांक 06 मई, 2013

प्रारूप-4

प्र.क्र. 01/बी-113/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

श्री आनंद जैन आत्मज स्व. श्री राजमल जैन, सचिव, शरद स्मृति न्यास विदिशा द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 जून, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, विदिशा लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 जून, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	. .	शरद स्मृति न्यास विदिशा, श्री रामकिशोर अग्रवाल का मकान खरीफाटक रोड, विदिशा न्यास का स्वंय का भवन बनने पर कार्यालय वहॉ स्थानांतरित होगा.
2. चल सम्पत्ति	. .	रु. 14,793/- मात्र, (जिसमें से रु. 11,793/- दिनांक 25 दिसम्बर, 2012 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विदिशा में खाता संख्या 364702010010782 में जमा एवं रु. 3000/- नकद).
3. अचल सम्पत्ति	. .	नगर विदिशा के अरिहंत विहार कॉलोनी में एक प्लॉट 3900 वर्गफुट जिसका तत्कालीन मूल्य 3,90,000/- तथा 1,00,000/- का बिल्डिंग मटेरियल कुल अचल सम्पत्ति रु. 4,90,000/-.

अविनाश तिवारी,

(333) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 10 जून, 2013

प्र. क्र. /12-13/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि श्री रामऔतर पुत्र नाथूराम पुजारी, अध्यक्ष एवं वर्किंग ट्रस्टी ग्राम उदोतपुरा ने '' पब्लिक ट्रस्ट श्रीमाता का मंदिर ग्राम उदोतपुरा, परगना भिण्ड'' पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र अनुसूची दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति, जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में माध्यम से अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	पब्लिक ट्रस्ट श्रीमाता का मंदिर ग्राम उदोतपुरा परगना, भिण्ड.
2.	चल सम्पत्ति	:	निरंक.
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

नरोत्तम भार्गव,

(334) अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1615, दिनांक 14 जून, 2012 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहरी, तहसील सोनकच्छ, जिला सोनकच्छ जिसका पंजीयन क्रमांक 507, दिनांक 13 अप्रैल, 1983 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, इन्दौर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(315-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

देवी आशापुरे फल, साग-सब्जी उत्पादक एवं विप. सहकारी संस्था मर्या., जामनोद, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 09 नवम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69-(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 725, दिनांक 14 मार्च, 2013, को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक , परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(314-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

कमला प्राथ. उप. भण्डार मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 933, दिनांक 16 मार्च, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 321, दिनांक 31 जनवरी, 2013, 774, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 25 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. एस. तिवारी, उप अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एच. एस. तिवारी, उप अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(307-X)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1120.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलाय जागीर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 11 जनवरी, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 156, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 770, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-M)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1121.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,बरोठा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 271, दिनांक 23 जुलाई, 1970 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 164, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 771, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-N)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1122.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 659, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3379, दिनांक 04 फरवरी, 2013, 767, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. चौधरी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. एस. चौधरी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-O)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1123.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 698, दिनांक 16 मई, 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र

क्र. 159, दिनांक 17 जनवरी, 2013, 749, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. डब्ल्यू. पंवार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री सी. डब्ल्यू. पंवार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-P)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1124.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीपुरा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 15 मई, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3375, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 768, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 फरवरी, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 15, 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-Q)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1125.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुरड़िया गुर्जर, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 422, दिनांक 11 जनवरी, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3358, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 817, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-R)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1126.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूखेड़ी, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 02 अगस्त, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3360, दिनांक 04 फरवरी, 2012, 762, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-S)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1127.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुडियाटांक, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 11 मई, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3373, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 764, दिनांक 18 मार्च, 2012 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री आर. सी. जायसवाल, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-T)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1128.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रसनखेड़ी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 09 जुलाई, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3366, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 818, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-U)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1129.—महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रालामण्डल, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 24 मई, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3367, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 821, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-V)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1130.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदुड़िया, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 2 अप्रैल, 1992 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3369, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 814, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. एन. पाटीदार, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-W)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1131.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोद मण्डी, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 554, दिनांक 07 मई, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3365, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 819, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-X)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1132.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोड़ी, तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 25 अगस्त, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3371, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 813, दिनांक 19 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-Y)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1133.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1561, दिनांक 12 जून, 2012 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3374, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 320, दिनांक 20 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(317-Z)

देवास, दिनांक 16 अप्रैल, 2013

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2013/1134.— दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोरारिगरिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 13 नवम्बर, 1984 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 3378, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012, 765, दिनांक 18 मार्च, 2013 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 फरवरी, 2013, 15 अप्रैल, 2013 तक का समय दिया गया था. समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझ में वेष्ठित है, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूं तथा साथ ही धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूं. आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री के. आर. चौबे, पर्यवेक्षक, दुग्ध संघ, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें.

(318)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
तिलहन सहकारी संस्था मर्या., सिरोलिया.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 19 अगस्त, 1980.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04-05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है एवं बायलाज के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते है तो दिनांक 22 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति कर दी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(314-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
शिक्षक साख सहकारी संस्था मर्या, लाहार्वा, तह. कन्नौद.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 224, दिनांक 1972.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 05 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 17 मई, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 16 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(315)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुटाड़िया गुर्जर, तह. सोनकच्छ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 422, दिनांक 01 जनवरी, 1982.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूखेड़ी, तह. सोनकच्छ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1079, दिनांक 02 अगस्त, 2004.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिड़ावद-2, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 280, दिनांक 16 अगस्त, 1996.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछड़िया, तह. टोंकखुर्द.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 23 अगस्त, 1980.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालमखेड़ी, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 03 अगस्त, 2004.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भूतियाखुर्द, तह. सोनकच्छ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1023, दिनांक 09 जुलाई, 2002.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आगरोदमण्डी, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 554, दिनांक 07 मई, 1984.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेड़ी, तह. टोंकखुर्द,
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 09 जुलाई, 2002.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रालामण्डल, तह. टोंकखुर्द.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 895, दिनांक 24 मई, 2000.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोडरिया, तह. खातेगांव.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1142, दिनांक 15 मई, 2006.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भदुड़िया, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 592, दिनांक 02 अप्रैल, 1992.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीपुरा.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 15 मई, 2006.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोड़ी, तह. टोंकखुर्द.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 25 अगस्त, 1989.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., डेहरियापैट, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 864, दिनांक 07 जून, 1999.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लसुड़ियाहतु, तह. सोनकच्छ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 433, दिनांक 11 मई, 1982.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-N)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पटलावदा.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1561, दिनांक 12 जून, 2012.

क्र. परि./2013/3374.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारोल, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 26 फरवरी, 2000.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरखेड़ी, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 682, दिनांक 5 अक्टूबर, 1989.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा टिगरिया, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 571, दिनांक 13 नवम्बर, 1984.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीलाखेड़ी, तह. टोंकखुर्द.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 659, दिनांक 25 अगस्त, 1989.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 04 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अमोदिया.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1127, दिनांक 15 मई, 2006.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पोलायजागीर, तह. सोनकच्छ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 483, दिनांक 11 जनवरी, 1982.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-U)

देवास, दिनांक 17 जनवरी, 2013

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., बिचकुआ.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009.

क्र. परि./2013/157.—आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-V)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
पानी पंचायत सहकारी संस्था मर्या., गोलागुठान.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 04 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-W)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 609, दिनांक 16 सितम्बर, 2010.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-X)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिन्जाना.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-Y)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मोरूखेड़ी.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 331, दिनांक 05 फरवरी, 1980.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(316-Z)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गढ़खजूरिया.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1251, दिनांक 29 सितम्बर, 2011.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोलाखाल, तह. बागली.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 986, दिनांक 31 मार्च, 2001.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रेकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रेकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरोठा.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 271, दिनांक 23 जुलाई, 1970.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का करोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अखेपुर.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1146, दिनांक 06 जून, 2006.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भरियाबावड़ी, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 11 अक्टूबर, 2005.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छोटा माल्सापुरा, तह. देवास.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 16 सितम्बर, 1976.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलरावां.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 734, दिनांक 16 अप्रैल, 1981.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलिया.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1106, दिनांक 20 अक्टूबर, 2005.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 21 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
देवी आशापुरे फल, साग-सब्जी उत्पा. विपणन सहकारी संस्था मर्या., जामनोद.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 775, दिनांक 09 नवम्बर, 2004.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 06-07 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., क्षिप्रा सन्नोड.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 167, दिनांक 30 अक्टूबर, 1969.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
अम्बेडकर चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., पीपलरावा.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 14 फरवरी, 1997.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
गायत्री साख सहकारी संस्था मर्या., टोंकखुर्द.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 854, दिनांक 14 मई, 1999.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(317-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति,
चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., जामली.
द्वारा :- अध्यक्ष/प्रभारी
पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 30 अप्रैल, 1997.

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था विगत 03 वर्षों से अकार्यशील होकर उसने विधि अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का कारोबार प्रस्तुत अंकेक्षण टीप के अनुरूप बंद है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा सूचित कर निर्देशित किया जाता है कि इस बाबत् लिखित में रिकार्ड के आधार पर मय प्रमाण प्रस्तुत करें कि संस्था कार्यशील होकर संस्था ने कार्य करना बंद नहीं किया है. यदि प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं तो दिनांक 15 अप्रैल, 2013 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर इस सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर मय प्रमाण एवं रिकार्ड के प्रस्तुत करें.

यदि उक्त सम्बन्ध में नियत दिनांक को अथवा उसके पूर्व संस्था के कार्यशील होने के सम्बन्ध में उत्तर मय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि प्रकरण में कोई सुनवाई नहीं चाहते हैं और आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक की नियुक्ति करदी जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 14 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(317-L)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/64, विदिशा दिनांक 20 जनवरी, 2006 से दी बासौदा मेकेनिक मोल्डिग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./110, दिनांक 28 अक्टूबर, 1963 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा दी बासौदा मेकेनिक मोल्डिग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दी बासौदा मेकेनिक मोल्डिग सहकारी संस्था मर्यादित, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./110, दिनांक 28 अक्टूबर, 1963 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1971/213, विदिशा दिनांक 15 जनवरी, 1971 से चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, अमऊखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 12 जुलाई, 1957 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, अमऊखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, अमऊखेड़ी, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 12 जुलाई, 1957 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(319-A)

विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2013

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2005/1612, विदिशा दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 से मछली उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही.डी.एस./505, दिनांक 15 सितम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ग्यारसपुर, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था.

समापक द्वारा मछली उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मछली उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हैदरगढ़, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक ए. आर./व्ही.डी.एस./505, दिनांक 15 सितम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(319-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदर्श कबूलर्श सहकारी संस्था मर्या. जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र. परि./10/38, राजगढ़, दिनांक 13 जनवरी, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 146, दिनांक 04 अगस्त, 1966 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/299.—सरस्वती उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या. खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./10/1898, राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 486, दिनांक 08 अप्रैल, 1991 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-A)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/300.—हरिजन कामगार सहकारी संस्था मर्या., तलेन, तहसील पचोर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./10/1898, राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 318, दिनांक 30 मार्च, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-B)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

शूकर पालन सहकारी संस्था मर्या., खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./10/1898, राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 20 जनवरी, 1959 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-C)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

शिक्षक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./10/38, राजगढ़, दिनांक 13 जनवरी, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 61, दिनांक 05 फरवरी, 1974 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-D)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिन्दोर हाट, तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./07/1545, राजगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 से जिसका पंजीयन क्रमांक 412, दिनांक 01 सितम्बर 1987 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-E)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मउ (सुठालिया), तहसील ब्यावरा, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र./परि./07/1545, राजगढ़, दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 से जिसका पंजीयन क्रमांक 528, दिनांक 18 अक्टूबर 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320-F)

राजगढ़, दिनांक 30 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

सरस्वती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जीरापुर, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, को इस कार्यालय के आदेश क्र. परि./10/38, राजगढ़, दिनांक 13 जनवरी, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 157, दिनांक 05 अप्रैल, 1989 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया.

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन संस्था का अंकेक्षण कराकर निरंक लेनदारी, देनदारी के साथ ऑडिट टीप प्रस्तुत करते हुए, प्रस्तुत किया गया है, संस्था के परिसमापक के द्वारा की गयी कार्यवाही से, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-6-99-15-2-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

उक्त आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(320-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सागर

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., गुलौआ, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 12 सितम्बर, 1998 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभकुमार जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., गुलौआ, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 737, दिनांक 12 सितम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चिरचिटा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 10 मार्च, 1987 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/531, दिनांक 11 अप्रैल, 2008 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चिरचिटा, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 432, दिनांक 10 मार्च, 1987 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-A)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठाखुर्द, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 12 सितम्बर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी केसली द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पठाखुर्द, विकासखण्ड केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 12 सितम्बर, 1985 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-B)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

राजीव गांधी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 04 जुलाई, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2850, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री रजनीश नायक, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी देवरी द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., गौरझामर, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 04 जुलाई, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-C)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., भीमवार्ड, बीना विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 769, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2790, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., भीमवार्ड, बीना विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 769, दिनांक 23 नवम्बर, 2000 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-D)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

हरिजन मजदूर पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., आगासोद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 25 मार्च, 1994 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मजदूर पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., आगासोद, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 565, दिनांक 25 मार्च, 1994 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-E)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

गुरू तेगबहादुर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरू तेगबहादुर वृक्षारोपण एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 648, दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-F)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

जनता ईंट-भट्टा कोल एवं हेडलिंग सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 341, दिनांक 22 जुलाई, 1981 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/1666, दिनांक 16 जून, 1992 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनता ईंट-भट्टा कोल एवं हेडलिंग सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 341, दिनांक 22 जुलाई, 1981 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-G)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

माँ हरिसिद्धि महिला ईंधन सहकारी समिति मर्या., सिविल लाइन सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1055, दिनांक 17 मार्च, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2796, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ हरिसिद्धि महिला ईंधन सहकारी समिति मर्या., सिविल लाइन सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1055, दिनांक 17 मार्च, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-H)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

वीरांगना अवन्ती बाई ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मोहननगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 01 मार्च, 2005 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2750, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वीरांगना अवन्ती बाई ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मोहननगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1171, दिनांक 01 मार्च, 2005 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-I)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

श्री माया ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मोतीनगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2836, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री माया ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., मोतीनगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 28 सितम्बर, 2002 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-J)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

साईनाथ ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 12 मार्च, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2862, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साईनाथ ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., रजाखेड़ी सागर, विकासखण्ड सागर जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 773, दिनांक 12 मार्च, 2001 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-K)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पंतनगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1052, दिनांक 09 जून, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2795, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री एच. के. मिश्रा, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी सागर द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पंतनगर वार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1052, दिनांक 09 जून, 2003 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-L)

सागर, दिनांक 26 मार्च, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

अग्रवाल रेल्वे खानपान सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 682, दिनांक 25 अगस्त, 1997 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/954, दिनांक 31 मार्च, 2005 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक श्री ऋषभ जैन, सहकारी निरीक्षक, सागर एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बीना द्वारा विधिवत् कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रवाल रेल्वे खानपान सहकारी समिति मर्या., बीना, विकासखण्ड बीना, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 682, दिनांक 25 अगस्त, 1997 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(321-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

महात्मा गांधी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1176, दिनांक 15 फरवरी, 2005 है. कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2011/2833, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी देवरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था की विशेष आम सभा दिनांक 22 जनवरी, 2013 में संस्था को पुर्नजीवित करने का सर्वसमिति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक 21 मार्च, 2013 को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुसंशा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुर्नजीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अत: मैं, एस. के. जैन, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर (मध्यप्रदेश) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/विधि/2833, दिनांक 12 सितम्बर, 2011 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए महात्मा गांधी कृषक कल्याण सहकारी समिति मर्यादित, सिमरिया, विकासखण्ड देवरी, जिला सागर जिसका पंजीयन क्रमांक 1176, दिनांक 15 फरवरी, 2005 को पुर्नजीवित करता हूँ साथ ही संस्था कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार 11 सदस्यीय अस्थायी कमेटी का गठन 3 माह के लिये गठित करता हूँ :-

क्र.	नाम	पद
1.	श्री शिव कुमार मिश्रा	अध्यक्ष
2.	श्री धनीराम अहिरवार	उपाध्यक्ष
3.	श्री भगवत शरण मिश्रा	संचालक
4.	श्री जगदीश मिश्रा	संचालक
5.	श्री मूलचंद विश्वकर्मा	संचालक
6.	श्री कमलचंद जैन	संचालक
7.	श्री कमलेश पटैरिया	संचालक
8.	श्रीमति विमला मिश्रा	संचालक
9.	श्रीमति अवधरानी मिश्रा	संचालक
10.	श्रीमति रामवती आदिवासी	संचालक
11.	श्रीमति उर्मिला जैन	संचालक

संस्था का निर्वाचन 03 माह में करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सोंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. के. जैन,
सहायक पंजीयक.

(321-N)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013-आषाढ़ 7, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अशोकनगर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित रहा है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर (अशोकनगर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा होना पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर में जुताई व बैतूल में गन्ना की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर व खरगौन में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला बड़वानी में आंधी, वर्षा एवं ओला से फसल गेहूँ को 15 से 25% नुकसान का अनुमान व सीहोर में वर्षा एवं ओलावृष्टि से होने के कारण फसलें प्रभावित की सम्भावना व रायसेन में पाला, तुषार से 15 से 20% एवं ओलावृष्टि से 20 से 30% फसलों को क्षति हुई है व हरदा में हवा, ओले एवं वर्षा से फसलों को 10 से 20% की क्षति एवं कटनी में ओला, पाला, शीतलहर से फसलें कहीं-कहीं प्रभावित हुई हैं.

5. **कटाई.**—जिला झाबुआ, इन्दौर में फसल गेहूँ, चना, अनूपपुर में मसूर, अलसी व भोपाल में मसूर, चना व डिण्डोरी में मसूर, मटर व टीकमगढ़ में मटर, मसूर, राई-सरसों व बैतूल में गेहूँ, चना, मसूर, अलसी व सीहोर, मण्डला तथा हरदा, सिवनी में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, बड़वानी, राजगढ़ में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, तुअर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द अधिक. मूंगफली, तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	6.0		4. (1) चना, गेहूँ, उड़द, सोयाबीन, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	11.0		गन्ना, अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. चन्देरी	3.0				
5. शाढौरा	. .				
***जिला गुना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. मटर, मसूर, राई-सरसों	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .	की कटाई का कार्य चालू	4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .	है.	अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		आलू समान.		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) चना, जवा अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर, चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. सेमदिया	. .				
8.रायपुरकर्चुलियान्	. .				
9. नईगढी	. .				
10. जवा	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		गेहूँ, मटर, मसूर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. मसूर एवं अलसी की	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		अधिक. राहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		अलसी, राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		मसूर, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक. सरसों कम. तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		मसूर, मटर, अलसी, लाख समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	. .		(2) . .		
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, सवा अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी मसूर, जौ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) चना, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सोण्डवा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. अलीराजपुर	. .				
4. भामरा	. .				
5. कट्टीबाड़ा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगोन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी:	मिलीमीटर	2. आंधी वर्षा एवं ओला फसल गेहूँ को 15 से 25 प्रति. नुकसान का अनुमान.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) कपास, गन्ना अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. वरला	. .				
9. अंजड	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. मसूर, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है. वर्षा एवं ओलावृष्टि होने के कारण फसलें प्रभावित की सम्भावना.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. पाला तुषार से 15 से 20 % एवं ओला वृष्टि से 20 से 30 % फसलों को क्षति हुई है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, लाख, सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. गन्ना की रोपाई व गेहूँ, चना, मसूर, अलसी की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ अधिक. चना, मटर, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है. हवा, ओले एवं वर्षा से फसलों को 10 से 20 % की क्षति.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
***जिला जबलपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) . .	6. . . .	8. . .
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ओला, पाला, शीतलहर से फसलें प्रभावित.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों, जौ, मटर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी मौसम मसूर, मटर की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, राई-सरसों अधिक. मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
***जिला बालाघाट :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला गुना, पन्ना, सतना, उज्जैन, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(327)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.